न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 78/2020 बउनवानी हरिकेश सैनी **बनाम** सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूँगर पुत्र सुखपाल सैनी, निवासी बस स्टेण्ड के पास मलारना डूँगर तहसील मलारना डूँगर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
08.12.2020	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 13.8.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. न्यायालय तहसीलदार मलारना डूँगर(स0मा0) के निर्णय/आदेश संख्या संख्या 600 रज्जू दिनांक 20.101978 निर्णय दिनांक 27.2.2018 की प्रति संलग्न प्रेषित के क्रम में इस आदेश निर्णय की फाईल नोटिस की सम्पूर्ण वांछित सूचना। 2. बिन्दु संख्या 1 के अनुसार वर्ष 2018 मे तहसील मुख्यालय मलारना डूँगर द्वारा बेदखल किया उस समय तहसीलदार,पटवारी,गिरदावर, कानूनगो कौन कौन थे उनके नाम पद सहित पते की सूचना। 3. बिन्दु संख्या 1 के अनुसार प्रभू,सदया,गोविन्दा,पुत्रान बजरंगा माली तहसील मुख्यालय द्वारा इनकी तामील कौनसे कर्मचारी,जमादार द्वारा की गयी तारीख माह वर्ष की सूचना तथा तामील कराने वाले कर्मचारियो का नाम पता पद सहित की सूचना और इस प्रकरण के संबंध में अब तक की गयी कार्यवाही की सम्पूर्ण वांछित सूचना। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक राजस्व/2020/1565 दिनांक 07.12.2020 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा जरिये पत्रांक 1519 दिनांक 13.11.2020 से अपीलान्ट को भिजवायी गयी थी जो स्वंय अपीलान्ट द्वारा दिनांक 23.11.2020 को प्राप्त की गयी है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.8.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 पर चाही गयी सूचना तहसीलदार मलारना डूँगर के पत्रांक 1519 दिनांक 13.11.2020 द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है जो स्वंय अपीलान्ट द्वारा दिनांक 23.11.2020 को प्राप्त कर ली गयी है। अपीलान्ट को प्राप्त सूचना पर उसके द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गयी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Rajendra Kishan Date: 2020.12.28 17:20:50 IST Reason: SelfAttested (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर